COURT FEE 10 रु. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

148

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

पुनरीक्षण प्र.क्र. /जि.दतिया R. 515-II/14

भगवत स्वरूप पुत्र श्री नारायण दास वैश्य निवासी भाण्डेर जिला दतिया म0प्र0

——— प्रार्थी

बनाम

1. रामचरण पुत्र परमानन्द निवासी कस्वा भाण्डेर जिला दतिया म0प्र0
2. राजेन्द्र श्रीवास्तव पुत्र विशम्भर दयाल श्रीवास्तव नवासी भाण्डेर जिला दतिया म0प्र0
3. म0प्र0 शासन

——— प्रतिप्रार्थीगण

श्री ... चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज दि. 3.2.14 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-2-14 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 3.20 P.M

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 सहपठित धारा 8 म0प्र0भू0रा0संहिता, अपर आयुक्त द्वारा प्र0क्र0 232/10—11/नि./अभ्यावेदन में पारित आदेश दिनांक 15.01.2014
भगवत स्वरूप वि. रामचरन आदि से असंतुष्ट होकर

3/2/14

प्रकरण के तथ्य :—

मान्यवर,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण (अभ्यावेदन) निम्न आधारों पर न्याय हेतु प्रस्तुत है :—

(1) यहकि, आवेदक के द्वारा विक्रीत भूमि के संबंध में नक्शा एवं खसरा में भिन्नता के आधार पर सुधार हेतु प्रकरण पंजीबद्ध होकर तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में यह बताया कि आलोच्य भूमि के संबंध में हेराफेरी हुई है किन्तु भूमि स्वामी के द्वारा ऐसा किया जाना संभव नहीं है । अतः दुरस्ती की कार्यवाही द्वारा सुधारा जावे उक्त प्रतवेदन को अनुविभागीय अधिकारी ने स्वीकार कर कार्यवाही के आदेश दिये अनुंविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 25.05.2009 के द्वारा यह माना कि व्यवहार

क्रमशः——2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 414–दो/13 जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश भगवत्स्वरूप / रामचरण	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–3–2016	प्रकरण में अनावेदक कमांक 2 की ओर से (दिनांक 16–4–15 की आदेश पत्रिका में लिखे अनुसार) प्रस्तुत लिखित प्रारम्भिक आपत्ती, आवेदक का लिखित उत्तर, तथा शासन की इन आपत्तियों पर लिखित बहस का परिशीलन किया गया, तथा तीनों पक्षों के इस आपत्ती पर मौखिक तर्क सुने गए । आपत्तीकर्ता का तर्क है कि प्रकरण नजूल से संबंधित है, अतः अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश के विरूद्ध म0 प्र0 शासन में अभ्यावेदन किया जाना था, और राजस्व मण्डल में निगरानी नहीं की जानी थी । यह भी कहा गया कि धारा 8 में राजस्व मण्डल को अधीक्षण करने एवं विवरणियॉ मांगने के अधिकार ऐसे मामलों में हैं, जो उसकी अपीली या पुनरीक्षण संबंधी अधिकारिता के अधीन हैं, और इस सीमा तक हैं जहॉ तक प्राधिकारी ऐसे मामलों के संबंध में कार्यवाही करते हैं । आवेदक का तर्क है कि उन्होंने राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी धारा 50 सहपठित धारा 8 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत की है । धारा 8 में अधीक्षण की शक्तियां राजस्व मण्डल को हैं । अतः राजस्व मण्डल	

R-414-II/14 (1मरा07) आला-राज्य

ग्रा0मरा0 खजरम

को यह निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार है, भले ही वह नजूल से संबंधित हो ।

शासकीय अधिवक्ता का तर्क है कि नजूल विधि के अनुरूप, अपर आयुक्त द्वारा अभ्यावेदन में पारित आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन म0 प्र0 शासन में प्रस्तुत होगा । राजस्व मण्डल को इसमें क्षेत्राधिकार नहीं है । इस आधार पर निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया ।

प्रकरण में विधि एवं प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में मैं यह पाता हूँ कि प्रकरण नजूल से संबंधित है, अतः अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश के विरूद्ध म0 प्र0 शासन में अभ्यावेदन किया जाना था, और राजस्व मण्डल में निगरानी नहीं की जानी थी । धारा 8 में राजस्व मण्डल को अधीक्षण करने एवं विवरणियॉ मांगने के अधिकार ऐसे मामलों में हैं, जो उसकी अपीली या पुनरीक्षण संबंधी अधिकारिता के अधीन हैं, और इस सीमा तक हैं जहॉ तक प्राधिकारी ऐसे मामलों के संबंध में कार्यवाही करते हैं । अतः यह निगरानी क्षेत्राधिकार के अभाव में इसी प्रक्रम पर राजस्व मण्डल से खारिज कर समाप्त की जाती है ।

आदेश पारित ।

पक्षकार सूचित हो ।

प्रकरण समाप्त ।

दा0द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य